pect of Anola project referred to irregularities involving over payments to the contractors. The complaints regarding gunny bags related to purchases made through Central Purchase Committee that had been constituted to recommend purchases for public and cooperative sector fertilizer companies. In regard to these purchases there were allegations of undue favours shown to private firms. No complaints have however been received from any of the foreign countries or the World Bank.

Enquiries are being conducted by IFFCO in respect of the irregularities in the payments involved in the execution of the Anola Project. The matter has also been referred to the Central Bureau of Investigation. The matter concerning purchase of gunny bags made through the Central Purchase Committee has also been referred to CBI. CBI has already registered a regular case against the members of the Central Purchase Committee and also a private party.

(d) In addition to the normal audit by the Statutory Auditors, the Comptroller and Auditor General of India has been requested to conduct audit of IFFCO. The Anola expansion plan has not yet been cleared by the Government.

मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा

3686. **श्री अनन्तराम जायसवाल:**
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने 11 और 12 जुलाई, 1990 को दिल्ली में पंचायती राज प्रथा के सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त भूमि के वितरण तथा शहरी एवं ग्रामीण भूमि/संपत्ति की अधिकतम सीमा तय करने के लिये राज्यों के मुख्य-मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया ; यदि हां, तो उस विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन 11 व 12 जून, 1990 को नई दिल्ली में कुछ विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिये आयोजित किया गया था जिनमें पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना और शहरी तथा ग्रामीण भूमि/संपत्ति पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना शामिल थे । सम्मेलन में हुई आम राय के आलोक में, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु कानून बनाने तथा भूमि सुधारों के बेहतर कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिकायें तैयार करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

महिला होस्टलों से निवासियों का निकाला जाना

3687 **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1990 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में "इनमेट्स आफ वीमेन्स होस्टल डैली बीइंग इविक्टिड" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन होस्टलों में रह रही महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(घ) जो लोग इन होस्टलों का वाणिज्यिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या इन होस्टलों से निष्कासित महिलाओं को कहीं और आवासीय सुविधायें दी गई हैं ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपसंत्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) जी, हां ।